भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. †2978

दिनांक 05.08.2026 को उत्तर देने के लिए

महत्वपूर्ण खनिज भंडार

†2978. श्री आदित्य यादवः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देशभर में लिथियम, कोबाल्ट, निकेल तथा ग्रेफाइट जैसे महत्त्वपूर्ण एवं सामरिक खनिजों के संबंध में घरेलू अन्वेषण से प्राप्त ठोस परिणामों, भौगोलिक मानचित्रण तथा अनुमानित भंडारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) भारत की आपूर्ति सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड (केएबीआईएल) के माध्यम से किए गए अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त उपक्रमों, परिसंपत्ति अधिग्रहणों तथा वाणिज्यिक द्विपक्षीय समझौतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गहराई में स्थित महत्वपूर्ण खनिजों के खनन में तेजी लाने के लिए निजी अन्वेषण एजेंसियों को प्रदान किए गए नीतिगत प्रोत्साहनों तथा अब तक आकर्षित किए गए कुल निजी निवेश का ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारत के इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) तथा हरित प्रौद्योगिकी परिवर्तन के लिए आवश्यक खनिजों के संबंध में, विशेष रूप से भू-राजनीतिक एकाधिकार रखने वाले देशों से आयात पर निर्भरता कम करने हेतु कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान राज्य मंत्री

(श्री सतीश चंद्र दुबे)

(क): भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) द्वारा शुरू की गई और राष्ट्रीय खनिज खोज और विकास न्यास (एनएमईडीटी) द्वारा वित्त पोषित गवेषण परियोजनाओं के माध्यम से देश भर में लिथियम, कोबाल्ट, निकल और ग्रेफाइट के लिए संवर्धित संसाधनों का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(ख): खनिज बिदेश भारत लिमिटेड (काबिल) ने अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत में राज्य- स्वामित्व वाले उद्यम कैमयेन के साथ 15703 हेक्टेयर क्षेत्र में 05 लिथियम ब्राइन ब्लॉकों के गवेषण और खनन के लिए एक गवेषण और विकास समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा, काबिल ने महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के खनन और प्रसंस्करण के क्षेत्र में सहयोग के लिए महत्वपूर्ण खनिज कार्यालय, उद्योग, विज्ञान, ऊर्जा और संसाधन विभाग, ऑस्ट्रेलिया सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

(ग): एनएमईडीटी ने देश में महत्वपूर्ण और सामरिक खनिज सहित खनिज गवेषण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित पहल शुरू की हैं:-

(i) अधिसूचित निजी गवेषण एजेंसियों की खनिज गवेषण परियोजनाओं के लिए 100% वित्तपोषण।

(ii) नीलामी के माध्यम से दी गई गवेषण अनुज्ञप्ति (ईएल) के धारक ₹20 करोड़ की सीमा के भीतर गवेषण पर प्रत्यक्ष लागत का 50% तक दावा कर सकते हैं।

(iii) नीलामी के माध्यम से दिए गए समेकित अनुज्ञप्ति (सीएल) धारक ₹8 करोड़ की सीमा के भीतर गवेषण पर प्रत्यक्ष लागत का 50% तक दावा कर सकते हैं।

(iv) सीएल ब्लॉकों के भीतर अनुमोदित अपतट गवेषण कार्यकलापों पर पात्र गवेषण व्यय के लिए सीएल धारकों को 300 करोड़ रुपये की सीमा के भीतर 50% तक आंशिक प्रतिपूर्ति।

(v) महत्वपूर्ण, सामरिक और गहराई में स्थित खनिजों के लिए जी4 की अनुमोदित परियोजनाओं की लागत का 25% प्रोत्साहन, यदि ब्लॉक सफलतापूर्वक नीलाम किया जाता है या जी3 चरण में अपग्रेड किया जाता है।

(घ): भारत के इलेक्ट्रिक वाहन और हरित तकनीक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण खनिजों के विदेशी आयात पर निर्भरता को कम करने और महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए, सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) को 2025 में महत्वपूर्ण खनिजों की दीर्घकालिक स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित करने और खनिज गवेषण और खनन से लेकर सज्जीकरण, प्रसंस्करण और एंड-ऑफ-लाइफ उत्पादों से पुनर्प्राप्ति के माध्यम से पुनर्चक्रण तक सभी चरणों को शामिल करते हुए देश की महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।

(ii) जीएसआई द्वारा देश भर में महत्वपूर्ण और सामरिक खनिज गवेषण परियोजनाओं को कार्य सत्र 2024-25 में 195 से बढ़ाकर कार्य सत्र 2026-27 में 300 कर दिया गया है। महत्वपूर्ण और सामरिक खनिज गवेषण परियोजनाओं के लिए एनएमईडीटी द्वारा वित्तपोषण भी वर्ष 2024-25 में 62 परियोजनाओं से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 84 परियोजनाओं के लिए कर दिया गया है।

(iii) सरकार ने अब तक देश में महत्वपूर्ण खनिजों के 56 ब्लॉकों और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए 06 गवेषण अनुज्ञप्ति (ईएल) ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की है।

(iv) सरकार ने द्वितीयक स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों के पृथक्करण और उत्पादन के लिए पुनर्चक्रण क्षमता विकसित करने के लिए अक्टूबर, 2025 में 1,500 करोड़ रुपये की वित्तीय प्रोत्साहन स्कीम शुरू की है।

(v) ओवरबर्डन/टेलिंग्स/फ्लाई ऐश/रेड मड आदि से महत्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति के लिए पायलट परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए नवंबर, 2025 में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

(vi) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957, को वर्ष 2025 में संशोधन के तहत, एनएमईडीटी के कार्यक्षेत्र को विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज गवेषण और खनन में सहायता करने के लिए विस्तारित किया गया है। विदेशी क्षेत्राधिकारों में खनिज गवेषण करने के लिए भारतीय सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए "विदेशी खनिज गवेषण संवर्धन दिशानिर्देश" जुलाई 2026 में प्रसारित किए गए हैं।

अनुलग्नक

जीएसआई द्वारा कार्यान्वित और एनएमईडीटी द्वारा वित्त पोषित गवेषण परियोजनाओं के माध्यम से लिथियम, कोबाल्ट, निकल और ग्रेफाइट के लिए संवर्धित संसाधनों का विवरण

क्र. सं.	राज्य (क्षेत्र) जहां महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के प्रमुख संसाधनों में वृद्धि हुई	खनिज पदार्थ	संसाधन (मिलियन टन में)
1	जम्मू और कश्मीर (सलाल-हैमना, कोटला) राजस्थान (रेवत पहाड़ी)	लिथियम	10.88
2	राजस्थान (लाडेरा) आंध्र प्रदेश (गुम्पमकोंडा, गडबावलसा, मंदिरवलसा) कर्नाटक (तारलाघट्टा)	कोबाल्ट	1.8
3	ओडिशा (आदाश, दुधियासोल पूर्व) कर्नाटक (बनसंद्रा, रंगपुरा) नागालैंड (मोलेन) केरल (पलक्कड़)	निकल	5.18
4	आंध्र प्रदेश (चिन्नागलीकोंडा-पोटावरम, उटला) मध्य प्रदेश (टिकरा-चिकलार और गौठान, गोलीघाट, बहेरा-गोरियारा) अरुणाचल प्रदेश (राधपु, फोप, पाक्रो, कुगिताओ-मिया, डाबा गामलिन) छत्तीसगढ़ (ओरंगा-रेवतीपुर, डिंडो, बेलकुर्ता, बसेरा, नवाडीह) झारखण्ड (बुधियाबागी, अधमनिया, करमा,उचरी, सिउरी) ओडिशा (रामपाली, अदाश, दंडपानी, उछाबापल्ली-ठाकुरपल्ली, तुमंडी, लारंभा, कनैताल, पुदापदर, भरतभाल, सालेपाली, हरदाताल, तामिया, रेंगाली, बब्जा, बियारपल्ली, लामेर पंगा, थापेन, बाजारगढ़, कनापुलिसि, नरिंगपंगा) राजस्थान (हरमारा पश्चिम, डुकवाड़ा) तमिलनाडु (अरासनूर, अरसानूर-पूर्व) पश्चिम बंगाल (रानीबाध)	ग्रेफाइट	127.16